

**NATIONAL HOUSING BANK**  
New Delhi, the 13<sup>th</sup> March, 2015

**Notification No. NHB.HFC.DIR.15/CMD/2015** - In exercise of the power conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely-

**1. Amendment of Paragraph 2**

In Paragraph 2 of the principal Directions, in sub-paragraph (1), after clause (y)(vi), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(vi)(a) any amount raised by issuance of non-convertible debentures with a maturity more than one year and having the minimum subscription per investor at Rs. 1 crore and above, provided that such debentures have been issued in accordance with the guidelines issued by the National Housing Bank as in force from time to time in respect of such non-convertible debentures."



Arnab Roy  
Executive Director

राष्ट्रीय आवास बैंक  
National Housing Bank  
कोर 5-ए, इंडिया हैबिटाट सेंटर  
Core 5-A, India Habitat Centre  
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110002  
Lodhi Road, New Delhi-110002

राष्ट्रीय आवास बैंक  
नई दिल्ली, 13 मार्च 2015

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.15/सीएमडी/2015 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः:

1. अनुच्छेद 2 में संशोधन

मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 2 में, उप अनुच्छेद (1) में, खंड (वाई) (vi) के बाद निम्नलिखित नया खंड डाला जाएगा, नामतः:-

“(vi) (क) एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने से जुटाई गई कोई राशि और जिसमें 1 करोड़ और उससे अधिक पर प्रति निवेशक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन हो, प्रदान करता है कि ऐसे डिबेंचर ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए जाएंगे”



अर्णव रॉय

कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय आवास बैंक  
National Housing Bank  
कोर 5-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर  
Core 5-A, India Habitat Centre  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
Lodhi Road, New Delhi-110003